न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारीः— मूल चन्द आर.ए.एस

अपील संख्या 2017/00376 (400/2017)

कुम्भाराम पुत्र गौरूराम जाति कुम्हार निवासी परलीका तह0 नोहर जिला हनुमानगढ

—–अपीलांट्

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर

–असल रेस्पोडेन्ट्

2. पृथ्वी पुत्र गौरूराम जाति कुम्हार नि0 परलीका तह0नोहर
3. बलवीर पुत्र गौरूराम जाति कुम्हार नि0 परलीका तह0 नोहर
4. सतपाल पुत्र मनफूल जाति कुम्हार नि0 परलीका तह0 नोहर
5. विक्रम पुत्र मनफूल जाति कुम्हार नि0 परलीका तह0 नोहर
6. सोना पुत्री गौरूराम जाति कुम्हार नि0 परलीका तह0 नोहर
7. हरली पुत्री गौरूराम जाति कुम्हार नि0 परलीका तह0 नोहर
8. पारो पुत्री गौरूराम जाति कुम्हार नि0 परलीका तह0 नोहर
9. सुखीया पुत्री गौरूराम जाति कुम्हार नि0 परलीका तह0 नोहर
10. तारा पुत्री गौरूराम जाति कुम्हार नि0 परलीका तह0 नोहर

.... तरतीबी रेस्पोडैन्टस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील अर्न्तगत धारा 75 एल आर एक्ट

विरूद्ध उपखण्डाधिकारी, नोहर दिनांक 19.07.2007 प्रकरण संख्या 44/07

उपस्थितिः—

श्री मांगेराम गोदारा, अभिभाषक अपीलांट

श्री खुशकरण खोसा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णयः— दिनांकः—15.02.2019

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

1. प्रकरण के तथ्य, संक्षेप में, इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता गौरूराम पुत्र लादूराम को चक 12 बाराजी की 3 बीघा कृषि भूमि दिनाक 17.06.1976 को 262.50 प्रतिबीघा के हिसाब से पुख्ता अलॉट हुई थी उक्त भूमि पर जीवनपर्यन्त अपीलांट के पिता का व अब अपीलांट व रेस्पोडैन्ट संख्या 2 से 10 का कब्जा है, जिसकी रकम राज अपीलांट व रेस्पोडैन्ट संख्या 2 सें 10 अदा करते आ रहे है व अपीलांट व रेस्पोडैन्ट 2 से 10 इस भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके हैं। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व रेस्पोडैन्ट संख्या 2से 10 को कोई सूचना व सुनवाई का अवसर न देते हुए उक्त भूमि

सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आरक्षित घोषित करने का अपीलाधीन आदेश दिया गया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रश्नगत् भूमि को स्थाई आवंटित करवाने हेतू अपीलांट के पिता को सक्षम अधिकारी उपजिलाधीश, नोहर के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया व जरिये मिसल नं0 8 उक्त भूमि अपीलांट के पिता को आवंटित कर दी जिसकी कुल कीमत जमा करवाई जा चुकी है, अधिनस्थ न्यायालय ने बिना सूचना व सुनवाई का अंवसर प्रदान किये कार्यवाही एकतरफा द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडैन्ट ने कथन किये कि प्रश्नगत् भूमि का अपीलांट के पिता को कभी आवंटन नही किया गया व विधिवत् प्रक्रिया अपनाई जाकर प्रश्नगत् भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतू आरिक्षत किया गया है अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पूर्णतयः सही है, अपील अपीलांट मियाद बाहर है व अपीलांट द्वारा मियाद बाहर अपील प्रस्तुत करने का कोई समुचित कारण प्रतीत नही किया है। अतः अपील खारिज की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत् भूमि को स्मालपेच में आवंटन करवाने हेतू भैरवराम पुत्र मंगलुराम जाति जाट निवासी दीललाना द्वारा यह कथन करते हुए प्रशासन आपके द्वारा कैम्प रामगढ में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी चक 12 बाराजी में 12.409 हैक्टयर भूमि है जिसके चिपते छोटे टुकडों की प्रश्नगत् भूमि है जो उसे आवंटित की जावे। भैरवराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर तहसीलदार नोहर से रिपोर्ट ली गई व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में उक्त भूमि सडक के साथ चिपती होनार व सार्वजनिक प्रयोजनाथ हेतू आरक्षित किये जाने की अनुषंशा की गई व तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलधीन आदेश पारित कर प्रश्नगत् भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया। मौजूदा प्रकरण में अपीलांट द्वारा प्रश्नगत् भूमि उसके पिता गौरूराम को आवंटित होने व इस भूमि पर अपीलांट के पिता तत्पश्चात गौरूराम के वारिसान का कब्जा होने के कथन किये गये हैं, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत् भूमि के सम्बन्ध में जो रिपोर्ट तहसीलदार, नोहर से ली गई है उस रिपोर्ट में प्रश्नगत् भूमि उतर

व पश्चिम में भैरू राम की भूमि होना व दक्षिण में दीपलाना पंचायत की सरहद तथा पूर्व में वन विभाग की भूमि होने के कथन किये है तथा उक्त भूमि मौका पर खाली होने तथा राजस्व अभिलेख में आराजी राज दर्ज होने के कथन किये हैं, इस रिपोर्ट में प्रश्नगत् भूमि अपीलांट के पिता को आवंटित होने या उनका कब्जा होने का कहीं कोई जिक्र तक नही है। इसके अलावा अपीलांट ने कथन किये हैं कि प्रश्नगत् भूमि उन्हे सन 1976 में ही आवंटित हो गई थी। प्रश्नगत भूमि सरकारी भूमि थी वर्तमान में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवंटित की गई है। अपीलाण्ट ने भूमि आवंटित होने के संबंध में दस्तावेज पेश किये गये हैं। किन्तु राशि जमा कराने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये हें। कब्जा प्रार्थीगण का है या नहीं इस सबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये हैं। जिस समय सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटित की गई थी उसे समय भूमि को निर्विवाद सेट अपार्ट हो गई एवं खाली बताया है जिस पर पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार सभी द्वारा अभिशंषा की गई है। उक्त तथ्य दस्तावेजात से साबित हें। अपीलाण्ट द्वारा इतने समय तक आवंटन की कीमत आदि क्यो नही जमा कराई गई इस संबंध में कुछ भी अंकित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट निरस्त किये जाने योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांट निरस्त की जाती है व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 19.07.2007 यथावत् रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 15.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

राजस्व अपील प्राधिकारी ★ हनुमानगढ़ (राज.)

(मूलचन्द) 15/2/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़ (राज०)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official